भारत सरकार
पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: rocz.lko-mef@nic.in

पत्र सं0 8बी/06/108/2016/एफ0सी0/315 दिनॉक : 10.01.2023

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय: जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मैनोरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण निर्माण में 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: **मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक सं0 : 1830/11–सी–FP/UP/Road/20685/2016, लखनऊ, दिनांक–28.11.2022**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक– पी–170/14–2–2017–800(165)/2016, दिनांक– 29.11.2016 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 18.09.2017 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अधूरी अनुपालना राज्य सरकार के पत्र दिनांक 02.02.2018 द्वारा प्रेषित की गयी थी जिसके संदर्भ में इस कार्यालय द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर अतिरिक्त सूचना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 12.03.2018 द्वारा मांगी गयी थी। वर्तमान में आपका उपरोक्त संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा आपनें उक्त सूचना अपने कार्यालय के पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांकित 27.03.2018 एवं 23.05.2018 (जो इस कार्यालय में अद्यतन तिथि तक अप्राप्त है) द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित करनें के विषय मे सूचित किया है एवं वांछित अनुपालना/सूचना उपलब्ध करायी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दु पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके–

1. Revised NPV amount as per order dated 06.01.2022 needs to be deposited in CAMPA.
2. Complete compliance of letter dated 12.03.2018 needs to be uploaded and forwarded on Parivesh Portal.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद, उ0 प्र0।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, कौशाम्बी, उ0 प्र0।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी, उ0 प्र0।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

10.01.2023

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)